राज0 लोक सेवा गारन्टी अधिनियम

राजस्थान सरकार

औषधि नियत्रंण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, राज0,जयपुर

क्रमांक– डीसी–2/ए–3/लोसेगाअधि/जन–42(5)/2013/ दिनांक

अति– आवश्यक

समस्त अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं
सहायक औषधि नियत्रंक,
राजस्थान

विषयः– राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम 2011 के तहत फार्मासिस्टों के मूल प्रमाणपत्रों पर से उनका नाम हटाने अथवा जोडने संबंधी इन्द्राज कर प्रमाण पत्र लौटाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभिन्न माध्यमों से **खुदरा औषधि अनुज्ञापत्रों में योग्यताधारियों की सेवाये देने की स्वीकृति एवं सेवाऐं समाप्त होने पर फार्मासिस्टों के मूल प्रमाण पत्रों पर इन्द्राज व डिलिट करने संबंधित कार्य"** में लाईसेसिंग प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियत्रंक के कार्यालय में अत्यधिक विलंब / समय लगाये जाने के संबंध में शिकायते प्राप्त होती रहती है।

इस क्रम में इस संगठन के पूर्व पत्र क्रमांक– डीसी/ए–3/सेल–जयपुर /2013/754 दिनांक 07.08.13 के द्वारा भी सभी लाईसेसिंग प्राधिकारियों एवं सहायक औषधि नियत्रंकों को निर्देशित किया जा चुका है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि आप ऐसे सभी प्रकरणों का निस्तारण 15 दिवस में आवश्यक रूप से करना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में किये गये कार्यो का **विवरण /रिकार्ड संघारित रखे।** समय सीमा में कार्य नहीं करने पर कार्यवाही की जायेगी।

औषधि नियत्रंक,
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक– डीसी–2/ए–3/लोसेगाअधि/जन–42(6)/2013/941 दिनांक 30/9/13

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त औषधि नियत्रंण अधिकारी, राजस्थान
2. अध्यक्ष, राजस्थान केमिस्ट एसोसिएशन, फिल्म कॉलोनी, जयपुर को भेजकर लेख है कि समस्त जिलजा पदाधिकारियों को सूचित करें।
3. प्रभारी सर्वर रूम, को भेजकर लेख है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

औषधि नियत्रंक,
राजस्थान,जयपुर